**पत्र सं0– वि. प्रा. (IV) योजना –57/2019–**

**बिहार सरकार**
**विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**

सेवा में,

**महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार**
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक –

**विषय :–** विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सात निश्चय योजना के तहत संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज के परिसर में अवस्थित बालिका छात्रावास(G+1) भवन के मरम्मति एवं रंग–रोगन कार्य हेतु राशि रू० 14,93,900.00 (चौदह लाख तिरानवे हजार नौ सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

**आदेशः– स्वीकृत।**

राज्य सरकार ने अभियंता प्रमुख –सह– अपर आयुक्त –सह– विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–9862(भ), दिनांक–03.12.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, छपरा द्वारा द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दिनांक–21.02.2025 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज के परिसर में अवस्थित बालिका छात्रावास(G+1) भवन के मरम्मति एवं रंग–रोगन कार्य हेतु राशि रू० 14,93,900.00 (चौदह लाख तिरानवे हजार नौ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति स्वीकृति प्रदान की है।

**2.** उक्त स्वीकृत राशि का व्यय, मांग संख्या–03 अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध बजट के मुख्यशीर्ष –2059– लोक निर्माण कार्य, उप मुख्यशीर्ष –80– सामान्य, लघुशीर्ष –053– रखरखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष –0018– इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत( विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) के अधीन विषयशीर्ष–27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड–03–2059800530018 है ।

**3.** उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्यायादेश/आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज को प्रदान किया जायेगा।

**4.** उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज होंगे।

**5.** उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार जिला कोषागार, गोपालगंज से की जायेगी।

**6.** विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी विभाग के लिए बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन राशि तक सीमित रहेगा।

**7.** तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य कराने की संयुक्त जिम्मेदारी संस्थान के प्राचार्य एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

**8.** राशि की निकासी एवं व्यय बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2024 के अनुसार एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों एवं अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

**9.** यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत

किया जाता है तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–**वि. प्रा. (IV) योजना –57/2019** के पृ०– 58/टि० पर प्राप्त है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि (2), दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

**(अहमद महमुद)**

सरकार के अपर सचिव

**ज्ञापांक– वि. प्रा. (IV) योजना –57/2019– /पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

**ज्ञापांक– वि. प्रा. (IV) योजना –57/2019– /पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

**ज्ञापांक– वि. प्रा. (IV) योजना –57/2019– /पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

**ज्ञापांक– वि. प्रा. (IV) योजना –57/2019– /पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

**ज्ञापांक– वि. प्रा. (IV) योजना –57/2019– /पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

**ज्ञापांक– वि. प्रा. (IV) योजना –57/2019–** 1045 **/पटना, दिनांक–** 04.03.25

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी(एम०)/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/25

सरकार के अपर सचिव